प्रेस प्रकाशनी

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसकी शुरूआत महात्मा गांधी के एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसकी शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 145वीं जयंती की अवसर पर 2 अक्तूबर, 2014 को राजघाट, नई दिल्ली में की गई थी। इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 अर्थात महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को 'स्वच्छ भारत' बनाना है।

मंत्रालय में स्वच्छता पखवाड़े की शुरूआत स्वच्छ भारत मिशन पर सरकार की पहल के अतिरिक्त 16-30 अप्रैल, 2018 के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े से संबंधित कार्यक्रम और गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में 5 अप्रैल, 2018 को माननीय संसद सदस्यों के साथ एक संवादात्मक सत्र के आयोजन के साथ हुई थी।

बैठक में श्री राम कृपाल यादव, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसद सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। निम्नलिखित संसद सदस्यों ने बैठक में भाग लिया:-

1. श्री ओम बिरला, संसद सदस्य (लोक सभा)
2. श्री रामचरण बोहरा, संसद सदस्य (लोक सभा)
3. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, संसद सदस्य (लोक सभा)
4. श्री देवजी मानसिंहराम पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की पहल का ब्यौरा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई थी। उन्होंने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे जन समूह के स्वास्थ्य, स्वच्छता और रहन-सहन की दशा में सुधार करने के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया था।

माननीय संसद सदस्यों ने खुले में शौच और शौचालयों के उचित कार्यचालन के लिए पानी की कमी के संबंध में विभिन्न मुद्दे उठाए थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से बनाए जाने वाले शौचालयों के निर्माण और कार्यचालन का मानीटरन करने के लिए कोई एजेंसी होनी चाहिए। सदस्यों का

विचार था कि इस संबंध में पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, जनशक्ति संविदा आधार पर भाड़े पर ली जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि मनरेगा के तहत मजदूरी को बढ़ाया जाना चाहिए और कार्यशक्ति का स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी उपयोग किया जाना चाहिए। इस मिशन के लिए भी एमपीलैड निधि के उपयोग की अनुमति दी जाए। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री और माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न योजनाओं और उनकी सफलता और स्वच्छ भारत अभियान के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और अवरोधों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मिशन में ग्रामीण और शहरी लोगों के हौसले और उत्साहपूर्ण प्रतिभागिता की सराहना की।

16 अप्रैल, 2018 को मंत्रालय में एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया और सचिव ने स्वच्छता का जायजा लेने के लिए मंत्रालय के प्रत्येक अनुभाग और कार्यालय का दौरा किया तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यस्थल एवं आस-पास के क्षेत्रों में साफ-सफाई और स्वच्छता अपनाने के अनुदेश दिए। सचिव ने अनुभागों के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता आरंभ की और स्वच्छता पखवाड़े के दौरान अनुभागों के स्वच्छता संबंधी प्रयासों के लिए उन्हें प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा की। उस दिन की स्थिति के अनुसार स्वच्छता की हालत के फोटो भी लिए गए। उसी दिन से मंत्रालय के सभी अनुभागों में स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया।

17 अप्रैल, 2018 को मंत्रालय में एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम, मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने स्वच्छता पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का विवरण दिया। सचिव ने संसदीय कार्य मंत्रालय में स्वच्छता पखवाड़े के संबंध में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा और माननीय सभापति, राज्य सभा के संदेशों को पढ़कर सुनाया। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को "स्वच्छता की शपथ" दिलाई। एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें माननीय राज्य मंत्री, सचिव और मंत्रालय के कर्मचारियों ने स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए स्वच्छता के महत्व के बारे में अपने अनुभव और विचार साझा किए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्वच्छता अभियान के कारण व्यवहार संबंधी परिवर्तनों के वास्तविक उदाहरण भी दिए जैसे कि बच्चे किस प्रकार इस अभियान का आधार और परिवर्तन का माध्यक हैं। उन्होंने साधारण व्यक्ति की भूमिका और इस बात पर बल दिया कि अकेला व्यक्ति भी आक्समिक पूर्ण परिवर्तन का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने यह संदेश

भी दिया कि आप जो दूसरों को करने की सलाह देते हो उसे स्वयं भी करो और आवास तथा कार्यालय से ही स्वच्छता अभियान की शुरूआत करो। इसी का अनुपालन करते हुए मंत्रालय में स्वच्छता के स्तर में उत्साहपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं।

स्वच्छता कार्यक्रम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिता के मंच के माध्यम से भी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है ताकि हमारे छात्रों को इस मिशन की ओर आकर्षित किया जा सके। इसी संदर्भ में, 18 अप्रैल, 2018 को संसदीय कार्य मंत्रालय ने 52वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के विजेता, भारती पब्लिक स्कूल, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली के सहयोग से एक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। संसदीय कार्य मंत्रालय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री एस.एन. त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। माननीय राज्य मंत्री ने बच्चों की सभा को संबोधित किया और उन्हें ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के अगुआ बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों में स्वच्छता और स्वास्थ्य की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे 'स्वच्छ भारत अभियान' के सबसे बड़े अग्रदूत हैं जो माननीय प्रधान मंत्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने युवा विद्यार्थियों को 'स्वच्छ भारत मिशन' की ओर आकर्षित करने के लिए स्कूल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि स्कूलों के शिक्षक और छात्र 'स्वच्छ भारत अभियान' में बड़े उत्साह और हर्ष के साथ सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने छात्रों को 'स्वच्छता की शपथ' भी दिलाई। इस अवसर पर, छात्रों ने 'स्वच्छ भारत अभियान' विषय पर आधारित गीत भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का समापन माननीय राज्य मंत्री, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण के साथ हुआ।

व्यापक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के भाग के रूप में राज्य विधानमंडलों का डिजिटलीकरण करने और के कार्यचालन को कागज रहित बनाने के उद्देश्य के साथ ई-विधान मिशन मोड परियोजना के नोडल मंत्रालय के रूप में, मंत्रालय सभी राज्यों में परियोजना को यथाशीघ्र शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई रणनीति का एक प्रमुख घटक केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर पर परियोजना निगरानी इकाइयों की स्थापना करना है। चूंकि, राज्य विधानमंडलों के डिजिटलीकरण से कागज के उपयोग को बड़े पैमाने पर कम करके पर्यावरण की स्वच्छता में योगदान दिए जाने की संभावना है, इसलिए स्वच्छता पखवाड़े के उद्देश्य को ध्यान में रखते

हुए, संसदीय सौध, नई दिल्ली में प्रथम तल पर केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू), ई-विधान का नया कार्यालय स्थापित किया गया है। 19 अप्रैल, 2018 को संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल ने, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी और संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, डॉ. सत्य प्रकाश की उपस्थिति में, केन्द्रीय परियोजना निगरानी इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सुश्री नंदीता चौधरी, उप महानिदेशक, एनआईसी भी उपस्थित थी।

स्वच्छता पखवाड़े के भाग के रूप में, 20 अप्रैल, 2018 को, मंत्रालय के विभिन्न कमरों से समस्त अनुपयोगी/बेकार पड़ी सामग्री और उपकरणों को एकत्र करके मंत्रालय के जामनगर हाउस स्थित कार्यालय में भेजा गया जहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यथाशीघ्र उनकी ई-नीलामी की जाएगी।

23 अप्रैल, 2018 को सचिव द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय की स्वच्छता लोगो के साथ नई वेबसाइट का उद्घाटन किया गया। नई वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे।

24 अप्रैल, 2018 को संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/स्टाफ द्वारा जाम नगर हाऊस बैरक्स स्थित अपने कार्यालय में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। सचिव के नेतृत्व में, कमरे, बरामदे, फर्नीचर, अलमारी और कार्यालय के अन्य उपकरण झाडू और डस्टर से साफ किए गए। बेकार पड़ी कबाड़ सामग्री और उपकरणों को निपटान/नीलामी के लिए एकत्र किया गया।

25 अप्रैल, 2018 को मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए योग पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में, डॉ. योगी उदय, प्राचार्य, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली ने स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता के महत्व को और योग के माध्यम से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसे स्पष्ट किया। डॉ. योगी उदय के मार्गदर्शन में मंत्रालय के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए गए।

सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों की बीच जागरूकता पैदा करने, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन के तरीकों पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को प्रोत्साहित करने तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नीतिगत मामलों में संसद सदस्यों के परामर्श और मार्गदर्शन से लाभ उठाने के लिए सरकार को एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1969 में संसदीय परामर्शदात्री

समितियां शुरू की गई थी। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध ऐसी 34 परामर्शदात्री समितियां हैं। 16 से 30 अप्रैल, 2018 तक मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़े के दौरान 26 अप्रैल, 2018 को पर्यटन मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी स्वच्छ भारत के संदेश का प्रचार किया गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय ई-विधान परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय सभी राज्यों में परियोजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी और राज्यों में एन.आई.सी. के अधिकारियों की भूमिका ई-विधान एमएमपी की सफलता के लिए सर्वोपरि है। इसलिए, श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 2018 को एन.आई.सी. मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों नोडल अधिकारियों और संबंधित राज्यों के एन.आई.सी. अधिकारियों से बातचीत की। इस पर अवसर, डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, सुश्री नंदिता चौधरी, डीडीजी, एन.आई.सी. और एन.आई.सी. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी नोडल अधिकारियों का स्वागत करते हुए परियोजना की सफलता के लिए राज्य के सूचना अधिकारियों को तथा उनकी भूमिका पर काफी जोर दिया। सचिव ने राष्ट्रीय ई-विधान ऐपलिकेशन की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया, जिसे क्लाउड (मेघराज) पर स्थानीय राज्य सर्वरों पर तैनाती हेतु कोर उत्पाद के रूप में विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ई-विधान एपलिकेशन डाउनलोड करने और संचालित करने में एक हल्की, सरल, आसान ऐपलिकेशन होगी। राष्ट्रीय ई-विधान ऐपलिकेशन का उद्देश्य कागज के उपयोग को कम करना और सदन (सदनों) में विधायी कार्यों के प्रबंधन को स्वचालित करना है। अधिकतर विशेषताएं, जिनमें किसी प्रकार का संपादन आवश्यक नहीं है, नागरिकों के उपयोग के लिए बिना किसी कुंजी/पासवर्ड के उपलब्ध होंगी। इसमें विधानमंडलों के अनन्य उपयोग के लिए बहुत कम सुविधाएं होंगी जिन्हें आई.डी. और पासवर्ड के माध्यम से उपयोग किया जा सकेगा। सचिव ने राज्य सूचना अधिकारियों/राज्यों में एन.आई.सी. के अन्य अधिकारियों द्वारा निभाई जाने वाली विशेष भूमिका पर जोर दिया क्योंकि यह एक राष्ट्रीय परियोजना होगी। उन्हें परियोजना के साथ आरंभ में 2-3 वर्षों अवधि के लिए सहयोजित किया जाएगा। चूंकि, राज्य विधानमंडलों के डिजिटलीकरण से कागजात के उपयोग को काफी हद तक कम करके स्वच्छता और पर्यावरण में योगदान मिलने की संभावना है, इसलिए मंत्रालय द्वारा 16

से 30 अप्रैल, 2018 तक मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उक्त 26 अप्रैल, 2018 का दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए विशेष रूप से चुना गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, कुछ राज्यों ने इस परियोजना से संबंधित मुद्दे उठाए, जिसका सचिव ने उत्तर दिया तथा राष्ट्रीय परियोजना की सफलता के लिए सभी के पूर्ण समर्थन की मांग की। राष्ट्रीय ई-विधान एपलिकेशन के 15 अगस्त, 2018 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या 2 अक्टूबर, 2018 गांधी जयंती पर आरंभ होने की संभावना है।

******